

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 2219 /11-सी-FP/UP/Others/19868/2016, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 27, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),  
उ०प्र० शासन,  
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:- जनपद-बाराबंकी में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्राम-बनीकोडर, तहसील-रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी के गाटा सं० 288 तथा 305 में भितरिया-हैदरगढ़ मार्ग पर किमी० 01-02 के मध्य दाईं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निमार्ण कार्य हेतु 0.052743 हे० (पूर्व में 0.0493 हे०) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी/06/15/2017/एफ०सी०/513, दिनांक-17.02.2017 एवं अनुसचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-भा०स०-37/14-2-2017-800(1)/2017, दिनांक 27.02.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित बिन्दुवार सूचना का निराकरण वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० सरयू वृत्त, फैजाबाद ने अपने पत्रांक-3350/14-10, दिनांक 21.04.2017 द्वारा निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रस्ताव सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित समस्त अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की एक मूल प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (मध्य क्षेत्र), अलीगंज, लखनऊ को सन्दर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोक्त (सी०डी० सहित)।

भवदीय

(वाई०एस०के० शेषकुमार)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Others/19868/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी।
3. डिवीजनल प्रबन्धक, एस्सार आयल लिमिटेड, 02/373 विशाल खण्ड, निकट-सी०मी०एस०, गोमती नगर, लखनऊ।

(वाई०एस०के० शेषकुमार)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।